



मसौदापती, उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रमाणित करमान सज्जक रिपोर्ट  
 जमिनाधार के आधारी का. न. 857, 859, 860, 861  
 1.86 0.43 0.02 0.09

किराया का हि. य. सुबेला पूर्व सुबेला पश्चिम के अन्तर्गत काहीन (स. नं.)  
 2.10  
 आगे के खण्ड के शर्त पर क. अन्तर्गत सज्जक संक. उपरिक्त मसौदापती के  
 आशुमाह कति पर अन्तर्गत सज्जक प्रार्थ का सही नाम सुबेला पूर्व सुबेला  
 ही अन्तर्गत सज्जक रिपोर्ट में आधी का गत सुबेला के खण्ड  
 पर सुबेला सुड रिमा जाना उचित होगा।

रिपोर्ट प्रमाणित की सेवा से धारा 108 है।

रिपोर्ट परवारी उचित है।

  
 रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

  
 पंच अधिकारी


20/10/22

रिपोर्ट परवारी जॉच अ. ग्रानि अनुसार पुरस्ती हे  
 नियमानुसार काहीवादी एवं भाडेगायी पेश है।

48  
 तहसीलदार (मू.अ.०)  
 तहसील अलवर जिला-अजमेर

आदेश

तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम  
 सुबेला के खण्ड पर सुबेला पूर्व सुबेला पश्चिम रिपोर्ट में  
 अन्तर्गत रिपोर्ट है। तदनुसार ही सज्जक रिपोर्ट में अन्तर्गत  
 करण है।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 अलवर

उपखण्ड अधिकारी